

राजस्थान सरकार

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक:- एच/एफएसएसए/2011/

471

दिनांक:- 9/08/11

समस्त सयुक्त निदेशक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन

राजस्थान।

विषय:- दिनांक 10.08.11 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 से सम्बन्धित कार्यशाला आयोजित किये जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10.08.11 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन निदेशालय में किया जाना सुनिश्चित किया गया है, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जोन एवं जोन के अधीनस्थ जिलों में कार्यरत समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिनांक 10.08.11 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 से सम्बन्धित आयोजित कार्यशाला में आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एच/एफएसएसए/2011/

471

दिनांक:- 9/08/11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
- 2 राज्य अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं अति0 निदेशक (ग्रा0 स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज0 जयपुर।
- 3 समस्त जिला अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को पालनार्थ।
- 4 समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजस्थान।
- 5 प्रभारी, केन्द्रीय सर्वर कक्ष निदेशालय मुख्यालय।
- 6 केयर टेकर, मुख्यालय।
- 7 कार्यालय प्रति।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।